अति आवश्यक / कोरोना वायरस (nCOVID-19)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःआईडीएसपी / कोरोना वायरस / 2020 / 35 दिनांक: 18.03.2020

परिपत्र

कोरोना वायरस (nCOVID-19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस बिमारी की रोकथाम ही इससे बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। कोरोना वायरस की रोकथाम एंव नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

स्वास्थ्य भवन परिसर में स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को कोरोना वायरस (nCOVID-19) से बचाव हेतु निम्नांकित सलाह दी जा रही हैः–

1. अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखें, तथा आसपास की जगह पर गंदगी नही होने देवें।
2. अपनी टेबल, कुर्सि, अलमारी, कमप्यूटर, लेपटॉप एंव अन्य फर्निचर की साफ–सफाई का पूरा ध्यान रखा जावें।
3. समस्त कार्मिक Personal Hygeine का ध्यान रखते हुयें अपने हाथ नियमित रूप से साबुन / हैण्डवॉस इत्यादि से अच्छी तरह धोयें अथवा हैण्ड सेनेटाईजर से हाथ साफ करें। यथा सम्भंव हाथ मिलाने से बचें।
4. किसी भी कार्मिक के जुकाम, खांसी, बुखार एंव समान लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क कर उपचार करवायें, तथा आवश्यकता होने पर अवकाश लेकर घर पर आराम करें।
5. सर्दी, जुकाम एवं श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें एंव समूह में खडे नही रहें।
6. खांसी अथवा छींक आने पर मुह व नाक पर टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, तथा तुरन्त बाद डस्टबीन में डालें।
7. जहाँ तक सम्भवं हो भीड–भाड वाले ईलाकों में जाने से बचें।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों की पालना कर कोरोना वायरस (nCOVID-19) रोग से बचाव, रोकथान एंव नियंत्रण पर सहयोग प्रदान करें।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःआईडीएसपी / कोरोना वायरस / 2020 / 35 दिनांक: 18.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
4. प्रबन्धं निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
5. निदेशक (आरसीएच / एड्स), मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
7. हाउॅस–किपीगं ऑफिसर / केयरटेकर, / नोटिस बोर्ड, मुख्यालय
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।